रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072020-220329 CG-DL-E-02072020-220329

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1925] No. 1925] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2020/आषाढ़ 11, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2020/ASHADHA 11, 1942

## रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

# आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई 2020

का.आ. 2179(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा ऐसीटिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(2) यह आदेश 3 नवंबर, 2020 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. 13012/08/2018- रसा. II]

समीर कुमार बिस्वास, संयुक्त सचिव

नोट: ऐसीटिक एसिड के लिए मुख्य आदेश को 5 अगस्त, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2791 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसे 24 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 344 (अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

2945 GI/2020 (1)

## MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

## (Department of Chemicals and Petrochemicals)

## **ORDER**

New Delhi, the 1st July, 2020

**S.O. 2179(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25, of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Acetic Acid (Quality Control) Order, 2019, namely:-

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted namely:-

"(2) This order shall come into force on the 3<sup>rd</sup> day of November, 2020."

[F. No. 13012/08/2018- Chem. II)

SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secv.

**Note:** The principal order for Acetic Acid was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 2791 (E), dated the 5<sup>th</sup> August, 2019 and was subsequently amended vide notification number S.O. 344 (E), dated the 24<sup>th</sup> January, 2020.